कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा (छ0ग0)

Email- bemetara.court@nic.in, Phone no. 07824-222210

आदेश

क्रमांक– 180 / दो–11–1 / 2022 बेमेतरा, दिनांक 12.09.2023

विभागीय चयन समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2023 में की गयी अनुशंसा के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना के लिये शीघ्रलेखक (हिन्दी) के रिक्त पद पर वेतनमान वेतन मेट्रिक्स 28700–91300 (लेवल–7) में निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है –

शीघ्रलेखक (हिन्दी) (अनारक्षित) (मुक्त)

क.	नाम	पिता / पति का नाम	पता
1	श्री मुकेश कुमार	श्री शंभूराम	गांधी चौक, पूनम होटल, बिट्टू फोटो कापी सेंटर, बिलासपुर (छ.ग.)
2	आराधना चंद्रवंशी	श्री गौकरण प्रसाद चंद्रवंशी	जी.पी. चंद्रवशी, जी श्याम नगर विपणन कार्यालय के बाजू कवर्धा जिला–कबीरधाम (छ.ग.)
3	भावना यादव	श्री धनीराम यादव	वार्ड नं.–38, नील पारा डिपरा, हीरा किराना स्टोर्स के पास, दुर्ग (छ.ग.)

शीघ्रलेखक (हिन्दी) (अनुसूचित जाति) (मुक्त)

क.	नाम	पिता / पति का नाम	पता
1	करिश्मा कुमार	श्री रामजी बंजारे	अश्वनी नगर, सुधीर मुखर्जी वार्ड क्र.–65, सबसे ऊपर मकान ई–28 / डब्ल्यू 65, रायपुर (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्ते –

1. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
2. नियुक्त कर्मचारियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रथम वर्ष उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% एवं तृतीय वर्ष में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%

स्टायपेंड देय होगा, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।

3. परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब उनकी सेवा या पद नियमित किया जायेगा, तब शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

4. चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तोवज अथवा अन्य प्रमाण पत्र असत्य, अपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

5. चयनित उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

7. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

8. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।

9. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

10. नवनियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत है, वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

11. नियुक्त कर्मचारीगण को कार्यभार ग्रहण करते समय उनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध–भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा–354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज होने के संबंध में स्पष्ट एवं सही जानकारी शपथ–पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।

12. नियुक्त कर्मचारीगण विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे। कार्य संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उनकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी। न्यायालयीन गरिमा के अनुरूप कार्य के प्रति गोपनीयता बनाये रखेंगे।

13. नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायिक जिले के बाह्य न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

14. नियुक्त कर्मचारियों को **आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर** अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा।

Sd/-
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ0ग0)

बेमेतरा, दिनांक 12.09.2023

पृष्ठा. क्र. 1054 /दो–11–1/2022

प्रतिलिपि –

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक–6049/तीन–18–27/2023/डी.ई बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।

(2) अध्यक्ष चयन समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ।

(3) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) प्रभारी अधिकारी, ई–कोर्ट अनुभाग, बेमेतरा की ओर कार्यालयीन वेबसाईट अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(5) लेखापाल/कार्यालय लिपिक, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) श्री मुकेश कुमार, पिता– श्री शंभूराम पता–गांधी चौक, पूनम होटल, बिट्टू फोटो कापी सेंटर, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) आराधना चंद्रवंशी पिता– श्री गौकरण प्रसाद चंद्रवंशी, पता– जी.पी. चंद्रवशी, जी श्याम नगर विपणन कार्यालय के बाजू कवर्धा जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

(8) भावना यादव पिता– श्री धनीराम यादव पता–वार्ड नं.–38, नील पारा डिपरा, हीरा किराना स्टोर्स के पास, दुर्ग (छ.ग.)

(9) करिश्मा कुमार पिता– श्री रामजी बंजारे पता– अश्वनी नगर, सुधीर मुखर्जी वार्ड क्र.–65, सबसे ऊपर मकान ई–28/डब्ल्यू 65, रायपुर (छ.ग.)।

(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ0ग0)